



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक:-.....611.....दिनांक:-.....19-02-2026.....

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषय:- Proposal for seeking Ex-post facto approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area: 163.5868 ha.) forest land in favour of M/S Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patraru-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in Latehar, Ramgarh and Ranchi districts of Jharkhand State (FP/JH/TRANS/32955/2018).

प्रसंग:- क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक-12.01.2026 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-38 दिनांक-22.01.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण ने उनके पत्रांक-189 दिनांक-03.02.2026 के द्वारा समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	त्रुटि	निराकरण
1.	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1880.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि इसका अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाना है।
2.	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NOC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	इसका अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल-झाड़ी अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल 1.0 पर अतिरिक्त कागजात/अभिलेख के रूप में अपलोड की गई है।

<p>3.</p>	<p>Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhinyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.</p>	<p>राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा इस प्रस्ताव के मामले में जो वन वाद दर्ज है वह संलग्न की जा रही है।</p> <p>स्थल पर वन भूमि में कार्य पर तत्काल रोक लगी हुई है। प्रयोक्ता अभिकरण पावर ग्रिड ने अपने पत्रांक-133 दिनांक- 01.09.2025 से उन कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण दिया था उनपर वन वाद दर्ज कर दिया गया है।</p> <p>वन (संरक्षण एवं सम्वर्धन) अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B सहपठित में [“Provided that nothing contained in this sub-section shall render the head of the department or any person referred to in clause (b), liable to any punishment if the proves that the offence was committed without his knowledge or that exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”]</p> <p>विदित हो कि श्री एस0 के शशि, उप महाप्रबंधक, जे0सी0पी0 पावर ग्रिड, राँची ने अपने पत्रांक-133 दिनांक-01.09.2025 उन्होंने कहा है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेन्सी के0ई0सी0 द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावर ग्रिड द्वारा उक्त एजेन्सी को चेतावनी भी दी गई है। चेतावनियों की प्रतियाँ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि सरकारी पदाधिकारी ने due diligence का उपयोग किया था।</p> <p>अतः यह प्रावधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है। (अनुलग्नक-1 एवं 2)</p>
<p>4.</p>	<p>The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha. and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.</p>	<p>इस संबंध में सूचित करना है कि वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्धन कार्य Front line forest staff viz. forestguard एवं forester अपने बीट/सब-बीट में करते हैं, जो कि उनका दायित्व है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक द्वारा वर्ष-2014 से 2018 के मध्य यह टावर</p>

निर्माण प्रारंभ कराया गया था। 2017 के सितम्बर में नवनियुक्त वनरक्षी, वन प्रमण्डल में योगदान देना प्रारंभ किये थे।

उनके पूर्व वनरक्षी की संख्या निम्नवत थी-

पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1
वनपाल	23	18	5
वनरक्षी	147	10	137

ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि अनेको प्रभार रहने के कारणवश एवं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के बीच नगण्य सीमांकन के फलस्वरूप सरजमीन पर ठोस रूप से इन कार्यों को प्रारंभ होने के पूर्व शत-प्रतिशत रोक पाना अत्यन्त विषमपूर्ण कार्य रहा है।

जो वन वाद प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध दर्ज किया गया है वह आपको पूर्व में ही सूचित है तथा प्रस्ताव में अंकित किया जा चुका है।

5.	The DFO, Latehar Forest Division in part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।
6.	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।
7.	(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha. instead of 126.974 ha. as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित KML file पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
	(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha. degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	इस प्रमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कृषि योग्य भूमि नहीं है।
--	---

- अनु०— (1) पावर ग्रीड, राँची का पत्रांक—189 दिनांक—03.02.2026
(2) पावर ग्रीड, राँची का पत्रांक—133 दिनांक—01.09.2025
(3) इस प्रमण्डल द्वारा दायर किए गए वनवाद की प्रतियाँ।
(4) इस प्रमण्डल अंतर्गत स्वीकृत, धारित एवं रिक्ती से संबंधित प्रतिवेदन ज्ञापांक—423 दिनांक—02.02.2017

विश्वासभाजन

~~वन प्रमण्डल पदाधिकारी
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
18/02/2026
18/4/26~~



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ सं.: पू.क्षे.-1/राँची/जे.सी.पी./प. ला.पा.ला/189

दिनांक: 03.02.2026

MOST IMMEDIATE

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
वन प्रमंडल- रामगढ़, झारखण्ड ।
वन प्रमंडल- राँची, झारखण्ड ।
वन प्रमंडल- लातेहार, झारखण्ड ।



विषय :- निर्माणाधीन 400 के.वी. पतरातू - लातेहार पारेषण लाइन से सम्बंधित वन प्रस्ताव पर "भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अंतर्गत वन संरक्षण प्रभाग के पत्रांक शून्य दिनांक 12/01/2026 द्वारा की गई पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि विषयाधीन पत्र द्वारा की पृच्छाओं का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नक - 1 द्वारा समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सधन्यवाद।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एस. के. शशि)
उप महाप्रबन्धक (जे.सी.पी.),
पावरग्रिड, राँची।

अनुलग्नक -1

S.No.	EDS from MoEFCC, New Delhi dated 12.01.2026	Response
1	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	May kindly be replied by Office of Nodal Officer, Ranchi, Jharkhand.
2	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NoC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	NoC for Jungle Jhari Area has been obtained for all 3 Districts. Same are attached and also uploaded in Additional Documents under Part I.
3	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/ action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhiniyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.	May kindly be replied by Office of respective Forest Divisions (Ramgarh, Ranchi & Latehar).
4	The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल / वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.	May kindly be replied by Office of Ranchi Forest Division.
5	The DFO, Latehar Forest Division in Part-II of the proposal reported that the presence of rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.	May kindly be replied by Office of Latehar Forest Division.
6	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	May kindly be replied by Office of Daltonganj Circle.


एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
राँची/Ranchi

7	(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 ha as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	<p>The KML file for Ramgarh division is showing some missing patches. KML file of Ramgarh division has been uploaded again in Part I. The total area proposed for diversion in 126.974 ha.</p> <table border="1" data-bbox="760 289 1385 562"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Name of Division</th> <th>PF Area (ha)</th> <th>Area under JJ (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ramgarh</td> <td>7.647</td> <td>4.600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ranchi</td> <td>39.906</td> <td>18.956</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Latehar</td> <td>52.704</td> <td>3.161</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL - 126.974 ha</td> <td>100.257</td> <td>26.717</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Name of Division	PF Area (ha)	Area under JJ (ha)	1	Ramgarh	7.647	4.600	2	Ranchi	39.906	18.956	3	Latehar	52.704	3.161	TOTAL - 126.974 ha		100.257	26.717
S.No.	Name of Division	PF Area (ha)	Area under JJ (ha)																			
1	Ramgarh	7.647	4.600																			
2	Ranchi	39.906	18.956																			
3	Latehar	52.704	3.161																			
TOTAL - 126.974 ha		100.257	26.717																			
	(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	May kindly be replied by Office of Ramgarh Forest Division.																				
	(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	May kindly be replied by concerned Forest Division.																				


3.2.26

एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
राँची/Ranchi



**पावरग्रिड
POWERGRID**

डेटा वर्गीकरण : प्रतिबंधित/RESTRICTED

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

संदर्भ सं.- पू.क्षे-1/राँची/जे.सी.पी./लातेहार- पतरातु/133

दिनांक 01.09.2025

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची (झारखण्ड) ।

विषय:- झारखण्ड परामर्शी परियोजना के अंतर्गत 400KV पतरातु – लातेहार पारेषण लाइन के निर्माण क्रम में वन अधिनियम 1980 एवं सम्बंधित नियामावली 2023 के उल्लंघन के सम्बंध में ।

प्रसंग: 1) दिनांक 22/08/2025 का स्थलीय जाँच ।
2) भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं. FP/JH/trans/32955/2018/1291 दिनांक 20/07/2023 ।

महाशय,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (पूर्व में JSEB) के साथ साझा समझौता ज्ञापन "जे.यु.एस. एन.एल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट" के अंतर्गत '400 के.वी पतरातु – लातेहार पारेषण लाइन' को एक परामर्शक के रूप में निर्माण करा रहा है । उक्त पारेषण लाइन का निर्माण कार्य वर्तमान में वन विभाग की चरण-1 की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण पूर्ण रूपेण स्थगित है । उक्त पारेषण लाईन "पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लि0, पतरातु" के 3x800 मेगावाट सन्चंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत उर्जा के सफल पारेषण हेतु अत्यावश्यक है ।

कहना है कि विषयाधीन पारेषण लाइन के वन प्रस्ताव सं. FP/JH/trans/32955/2018 के अनुमोदन के क्रम में राँची वन प्रमण्डल में आने वाले वन भूमि का दिनांक 22/08/2025 को हुए संयुक्त स्थलीय जाँच के दौरान श्रीमान के द्वारा वन अधिनियम 1980 एवं सम्बंधित नियामावली 2023 के उल्लंघन के विवरण की मांग कि गई थी।

अतः प्राप्त निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर निर्माण किये जाने वाले टावरों के विवरण के साथ – साथ उक्त वन अधिनियम एवं नियामावली से सम्बंधित उल्लंघन (निर्मित टावर) का भी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न 'अनुलग्नक-1' पर दिया जा रहा है ।

ज्ञात हो कि पत्र पत्रांक 1707, दि. 02.09.2024; पत्रांक 1909, दि. 01.10.2024 एवं पत्रांक 2156, दि. 12.11.2024 के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम – 1927 तथा अब वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन पाए जाने के उपरांत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पावरग्रिड एवं Contract Company के दोषी कर्मचारियों को चिह्नित कर उनका नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था जिसके प्रत्युत्तर पावरग्रिड द्वारा पत्र संदर्भ सं. ई. आर.-1 /जे.सी.पी./राँची/लातेहार-पतरातु/पतरातु/4254, दि. 28.11.2024 द्वारा दोषी कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराया दिया गया था, देखें संलग्न 'अनुलग्नक-2' ।

पुनः कहना है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेंसी M/S KEC द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावरग्रिड द्वारा उक्त एजेंसी को चेतावनियाँ भी दी गयी थी, देखें संलग्न अनुलग्नक-3 (चेतावनी पत्रों की प्रतियाँ) ।

[Handwritten signature]
1.9.25

पूर्वी क्षेत्र-1ए जे. सी. पी. कार्यालय : 400/200 के० वी० उपकेन्द्र, नामकुम, ग्राम- राजाउलातु, पोस्ट- नामकुम, राँची - 834010 दूरभाष: 0651-2972320

ER-1, JCP Office : 400/200 KV Sub-station, Namkum, Gram-Rajaulatu, Namkum, Ranchi-834010, Tel : 0651-2972320


केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2ए सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001ए हरियाणा, दूरभाष: 0124.2571700719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, Haryana, Tel. : 0124-2571700719

पंजीकृत कार्यालय: बी-9ए कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016 दूरभाष: 011.26560112ए 26560121ए 26564812ए सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Registered Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812, CIN: L40101DL1989GOI038121

Website : www.powergridindia.com



उक्त परिस्थिति में "पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०" "अनुलग्नक-2" पर उल्लेखित दोषी अधिकारियों के तरफ से compounding करना चाहता है जिसकी शक्तियाँ FC Act एवं भारत सरकार के पत्र पत्रांक: 11/113/2022-FC (Part-1), दिनांक 15/05/2023 (अनुलग्नक-4; संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी को ही प्रदान की गई हैं।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि यथा सरकारी आदेश प्रक्रिया एवं प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उक्त उल्लंघन हेतु राजस्व क्षतिपूर्ति का आदेश कर प्रशमन (Compounding) कराने की कृपा की जाय।

सधन्यवाद।

भवदीय,


1.9.25

(एस. के. शशि)

उप महाप्रबंधक (जे.सी.पी)


पावरग्रिड राँची।

- सूचनार्थ : 1) प्रबंध निदेशक, जे.यू.एस.एन.एल।
2) निदेशक (परियोजना), जे.यू.एस.एन.एल।
3) कार्यकारी निदेशक, पावरग्रिड, पू.क्षे.-।।
3) मु. महाप्रबंधक, पावरग्रिड, पू.क्षे.-।।
4) उप महाप्रबंधक (I/C), पावरग्रिड, राँची।

अनुलग्नक-1

1. वन भूमि में आने वाले टावर का विवरण:

क्र.सं	टावर संख्या	ग्राम का नाम	वन भूमि का प्रकार	उल्लंघन	टावर निर्देशांक	
					EASTING	NORTHING
1	16/0 (DB+0)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 27.413"	85° 12' 59.822"
2	17/0 (DD+3)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 22.642"	85° 12' 49.971"
3	18/0 (DC+0)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 25.280"	85° 12' 36.534"
4	18/1 (DB+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 22.651"	85° 11' 25.695"
5	19/0 (DC+9)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 20.272"	85° 11' 15.672"
6	20/0 (DB+9)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 11.872"	85° 11' 05.926"
7	21/0 (DD+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 08.665"	85° 11' 57.131"
8	23/0 (DD+3)	उमेडंडा	GMJJ	है।	23° 38' 24.662"	85° 11' 40.891"
9	35A/2 (DA+0)	लोथमाना	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 49.726"	85° 04' 10.098"
10	35A/3 (DA+3)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 55.779"	85° 04' 57.559"
11	35A/4 (DA+0)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 01.039"	85° 04' 46.653"
12	37/0 (DD+0)	मुन्ना	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 42.716"	85° 03' 41.991"
13	37/1 (DA+0)	मुन्ना	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 46.083"	85° 02' 29.629"
14	38/1 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 43.602"	85° 02' 04.659"
15	38/2 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 37.758"	85° 02' 52.366"
16	40/1 (DA+3)	रामदगा	GMJJ	है।	23° 35' 10.565"	84° 60' 46.371"
17	40/2 (DA+0)	रामदगा	GMJJ	नहीं है।	23° 35' 15.083"	84° 60' 33.747"
18	40/3 (DA+9)	रामदगा	GMJJ	नहीं है।	23° 35' 19.796"	84° 59' 20.632"
19	41/0 (DD+9)	रामदगा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 35' 24.200"	84° 59' 08.677"
20	41/1 (DA+3)	दुल्ली	GMJJ	नहीं है।	23° 36' 34.463"	84° 59' 00.581"
21	41/2 (DA+0)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 43.685"	84° 59' 53.306"
22	41/4 (DA+3)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 00.769"	84° 59' 39.827"
23	42/0 (DD+0)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 11.296"	84° 59' 31.522"
24	42/1 (DA+3)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 15.189"	84° 58' 19.184"
25	42/2 (DA+0)	हरहु	GMJJ	नहीं है।	23° 36' 18.686"	84° 58' 08.195"
26	43/1 (DB+9)	हरहु	GMJJ	नहीं है।	23° 37' 38.499"	84° 57' 15.787"
27	43/2 (DA+6)	हरहु	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 46.987"	84° 57' 04.397"
28	44/0 (DC+0)	हरहु	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 54.176"	84° 57' 53.818"
29	44/1 (DB+6)	कोनका	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 05.840"	84° 57' 46.017"
30	44/2 (DB+9)	कोनका	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 15.569"	84° 57' 39.480"
31	44/3 (DB+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 23.527"	84° 57' 34.135"
32	45/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 35.157"	84° 56' 26.333"
33	45/1 (DA+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 42.268"	84° 56' 14.441"
34	46/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 48.029"	84° 56' 04.400"
35	46/1 (DA+0)	निद्रा	GMJJ	है।	23° 38' 49.456"	84° 56' 51.960"
36	46/2 (DA+3)	निद्रा	GMJJ	है।	23° 38' 50.591"	84° 56' 42.064"
37	47/0 (DD+0)	बेलगड़ा	GMJJ	है।	23° 38' 55.154"	84° 55' 01.704"


 एस. के. शशि / S.K. Shashi
 उपनहाप्रबंधक / DGM (JCP)
 पावरग्रिड / POWER GRID
 राँची / Ranchi

डेटा वर्गीकरण : प्रतिबंधित/RESTRICTED

2. उल्लंघन क्षेत्रफल :

क्र. सं.	टावर संख्या	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	उल्लंघन का क्षेत्रफल	टावर निर्देशांक	
							EASTING	NORTHING
1	21/0 (DD+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	14.733	14.733	217.06	23° 38' 08.665"	85° 11' 57.131"
2	23/0 (DD+3)	उमेडंडा	GMJJ	15.898	15.898	252.75	23° 38' 24.662"	85° 11' 40.891"
3	35A/2 (DA+0)	लोथमाना	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 49.726"	85° 04' 10.098"
4	35A/3 (DA+3)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	11.073	11.073	122.61	23° 36' 55.779"	85° 04' 57.559"
5	35A/4 (DA+0)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 01.039"	85° 04' 46.653"
6	37/0 (DD+0)	मुन्ना	अधिसूचित वन	14.733	14.733	217.06	23° 36' 42.716"	85° 03' 41.991"
7	37/1 (DA+0)	मुन्ना	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 46.083"	85° 02' 29.629"
8	38/1 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	11.793	11.793	139.07	23° 36' 43.602"	85° 02' 04.659"
9	38/2 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	11.793	11.793	139.07	23° 36' 37.758"	85° 02' 52.366"
10	40/1 (DA+3)	रामदगा	GMJJ	11.073	11.073	122.61	23° 35' 10.565"	84° 60' 46.371"
11	45/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	15.644	15.644	244.73	23° 38' 35.157"	84° 56' 26.333"
12	45/1 (DA+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 38' 42.268"	84° 56' 14.441"
13	46/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	15.644	15.644	244.73	23° 38' 48.029"	84° 56' 04.400"
14	46/1 (DA+0)	निद्रा	GMJJ	10.365	10.365	107.43	23° 38' 49.456"	84° 56' 51.960"
15	46/2 (DA+3)	निद्रा	GMJJ	11.073	11.073	122.61	23° 38' 50.591"	84° 56' 42.064"
16	47/0 (DD+0)	बेलगड़ा	GMJJ	14.733	14.733	217.06	23° 38' 55.154"	84° 55' 01.704"
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)						2576.51 वर्गमीटर		

नोट: उपरोक्त सभी प्रकार के टावरों का फाउनडेशन ड्राईंग संलग्न (अनुलग्नक-5)

क. वनभूमि/ GMJJ पर निर्मित टावरों की संख्या = 16,

ख. उपरोक्त 16 (सोलह) टावरों का प्राक्कलित कुल क्षेत्रफल = 2576.51 वर्गमीटर,

ग. अतः वनक्षेत्र में उल्लंघन का कुल क्षेत्रफल = 2576.51 वर्गमीटर, अथवा, 0.2576 हे०।

1.9.25
एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
राँची/Ranchi

अनुलग्नक-2


क्र. संख्या	नाम	पदनाम	पता	टिप्पणियां
1	श्री एस. मुरलीधरन	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड	Present Place of Posting: New Navsari, WR-II (POWERGRID 765/400/220 kV New Navsari GIS Substation, Vill- Ubhrat, Taluka- Jalalpur, Dist- Navsari, Gujrat, Pin Code- 396436 Permanent Address: Tharasadanam- Near BSNL Office- Pazha, Nedumangadu Taluk, Nedumangadu, Trivandrum, Kerala- 695561 Mail ID: smurlidharan@powergrid.in Phone No: 9431815681/ 7488887308	Transferred out
2	श्री पी. सुब्बाराव	उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड	Flat No: 401, Shanthi Nilayam, Ramnagar 7th line, Ongole, Andhra Pradesh- 523001, Mail-ID: hotlinesubbarao@gmail.com Phone No: 9440908965/ 8331998327	Retired from POWERGRID
3	श्री सुमन सिंह	परियोजना प्रबंधक KEC	परियोजना कार्यालय : KEC International limited 489/C, Mandir Marg, Ashok Nagar, Ranchi-834002 (JH) क्षेत्रीय कार्यालय : KEC International Limited 6/2, Moira Street Kolkata-700017 (WB)	Transferred out

घ.

11.9.15
एस. के. शशि / S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक / DGM (JCP)
पावरग्रिड / POWER GRID
राँची / Ranchi

अनुसंधानक - 3

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED



(A Government of India Enterprise)

ए 0/360 रोड नो 4 ए अशोकनगर-रांची 834002

दूरभाष: 0651 2242545 ईमेल: jcpranchi@yahoo.in
A/360, ROAD NO. 4B, ASHOK NAGAR RANCHI - 834002
Tel: 0651-2242545 Email: jcpranchi@yahoo.in

Dt.: 27.02.2017

Ref: ER-1/RNC/JCP/TW-01/FOREST/2017/2200

To:
The Sr. Project Manager,
M/s KEC International Limited,
Project Site Office,
Ranchi-834 004

Sir

Sub: JCP works – Commencement of Foundation works in FOREST area
without Stage-1 Approval – Reg
Ref: CC-CS/292-ERS-1/TW1680/3/G4/NOA-II/4453, DT.28/9/2012.

This is in continuation to our earlier letter Dt.12/05/2016 and also for information, it is understood from the Forest department Officials during interactions that the commencement of Constructive works in FOREST area without Stage-1 approval is a Crime and the concerned officials will be prosecuted by issuing non-bailable arrest warrants.


It is pertinent here to mention on the subject that M/s KEC officials are expressed intension/planning for mobilization of commencement of Foundation works in FOREST areas and the same was refused in different levels of discussions.

Hence it is advised for not to resort any such type of planning in FOREST areas without Stage approval otherwise M/s KEC is the sole responsibility for actions taken by the FOREST Department.

This is for your kind information please.


Thanking you

Yours Faithfully
For Power Grid Corporation of India Limited


(P. Subramanian)

Dy. General Manager, JCP,

Copy: 1.AGM/JCP, Ranchi – for kind Information please.
2.Asst.GM/TLC, TW-01 package, Ranchi – for information please.

पावरग्रिडकारपोरेशनऑफ इंडियालिमिटेड
(भारतसरकारका उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

ए 0/360रोड न0 4 ए अशोकनगर-रंची834002

दूरभाषः 0051 2242545 ई0 मेल0: jcpranchi@yahoo.in
A/360, ROAD NO. 4B, ASHOK NAGAR RANCHI -834002
Tel : 0651-2242545 Email: jcpranchi@yahoo.in



Ref: ER-1/RNC/JCP/TW-01/2016/1505

Dt.:12.05.2016

To:
The Sr. Project Manager,
M/s KEC International Limited,
Project Site Office,
Ranchi-834 004

Sir

Sub: JSEB consultancy works – 400KV D/C ESSAR-Latehar Line – Reg
Ref: CC-CS/292-ER5-1/TW1680/3/G4/NOA-II/4453, DT.28/9/2012.

It is understood from the monthly progress reports that 400KV D/C ESSAR-Latehar Line pertains 10Nos. of locations fouling in RF and out of that 9Nos. foundations are completed. In this regard it is being communicated that any obligation with RF officials due to completion of foundation works prior to RF approvals is the sole responsibility of M/s KEC only.

This is for your kind information please.

Thanking you

Yours Faithfully,
For Power Grid Corporation of India Limited

(P.Subbarao
Dy. General Manager, JCP, Ranchi

Copy: GM/JCP, Ranchi – for kind information please.

Sr. Subbarao
14/5/16

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है हरियाली
वहाँ है ख़ुशहाली

पत्रांक:- 2969 दिनांक:- 14-10-2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, ओझासाड़म पी0एफ0 एवं लोथमाना पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33467 /2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-635 दिनांक-07.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, ओझासाड़म पी0एफ0 एवं लोथमाना पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33467 /2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

14/10/2025

14/10/2025

ok

C-33467/25

F.No. 4277/25
CNRSH RN 030428412

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।
पत्रांक 18 दिनांक : 28/09/2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर
विद्युत टावर निर्माण हेतु फाउंडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री मनोज कुमार वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना पी० एफ० में पाँच जगहों पर विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री मनोज कुमार द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4691 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जुर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जुर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4691 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।
आपका विश्वासी
28/09/2025

आपका विश्वासी
Astique Anwar
28/09/2025
प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज

प्रभारी, वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज

09/10/2025

प्रमाणित:-

09/10

05/10/2025

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक / ज्ञापांक 635 दिनांक 05/10/2025

वन प्रमण्डल सहायिका, रॉन्गी वन प्रमण्डल, रॉ
के अपराध प्रसिद्धि के द्वारा माल के साथ
प्रमाणित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित



वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

सैवा में,

वन परिसर पदाधिकारी

खुलारी वन परिसर, मैकलुस्वीजंग

महोदय,

सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमान साइज, मुन्ना, लोचमान पी० एल० ने कुछ लोगों द्वारा वृक्षों में पेंस खे कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जा कर पुष्टता करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रीड द्वारा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरींग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि श्रीमान साइज पी० एल० ने दो जगह मुन्ना पी० एल० ने दो जगह लोचमान पी० एल० ने एक जगह विद्युत शक्ति का निर्माण हेतु वन भूमि में जाइउसन का कार्य किया गया है। प्रयोगिता अभियंता के कार्रवाई/पदाधिकारी से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रॉज की अभी के अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके।

चार वृक्षों में अंकित अभियंता के द्वारा वनभूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम किया गया है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार संसोधन 1989) की धारा 33 का उल्लंघन है।

अतः ध्यान से अनुरोध है कि आगे की उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी

मनीष कुमार
खुलारी वन परिसर

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ए), वन विभाग, बिहार सरकार
रांची पश्चिमी वन प्रमण्डल, बोहरदुम खेती 4691

(नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।)

जुर्म नम्बर... 4691.....

दिनांक... 18/08/2025...

1. घटना स्थल - श्री आभासाइन पी. एम. डी., गुन्ना पी. एम. डी. स्वतंत्र (लोथाना) पी. एम. डी.
2. पकड़ने का स्थान और तारीख - श्री आभासाइन पी. एम. डी. (दिनांक 18/08/2025)
3. अपराधी का नाम और पता - ① श्री सुनील सिंघ, परिपोजना प्रबंधक, के. डी. सी. इंटरनेशनल लिमिटेड

4. जप्ती माल, अगर कोई - X

5. जप्ती माल का जिमेवार - X

6. गवाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - ① सुरजीत राय व. र. खलसी वन पार्सल
② सुनील खलसी व. र. खलसी वन पार्सल
सुनील खलसी

7. स्वतंत्र गवाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - X

8. तफसील और ध्यान प्रतिवेदन - X

कृपया उल्टे पृष्ठ पर देखें



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है हरिया
वहाँ है स्वर्ण

पत्रांक:-.....2968.....दिनांक:-.....14-10-2025.....

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढमू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, निद्रा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूरुम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33463/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक-634 दिनांक-07.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, निद्रा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूरुम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33463/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
14/10/2025
14/10/2025

alc

F :- 42766/25

CNR :- JHR No 30428335

C :- 33463/25

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।

पत्रांक : 65

दिनांक : 19.08.2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- निद्रा सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण हेतु फाँउडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री सुनील एक्का वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा निद्रा पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की निद्रा पी एफ में तीन जगह विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाँउडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री सुनील एक्का द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4690 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जुर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जुर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4690 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

प्रतिवेदन :- वन क्षेत्र पदाधिकारी वृद्ध
वन क्षेत्र शाखा के मुख्य अधिकारी
श्री अशोक कापूर सिंह, राँची।

Ashok Kumar

आपका विश्वासी
Ashok Kumar
19/08/2025
प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज

प्रभारी, वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज

09/10/2025

प्रतिबंध :-

09/10

08/10/2025

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक/ज्ञापांक 634 दिनांक 09/10/2025

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची
को आपदा-प्रतिकार की इजाजत के लिए
प्रत्येक वर्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित।



09/10/2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

सेवा में

वन परिसर पदाधिकारी

खलारी वन परिसर मंडल मुख्यालय जंज

महाशय

सूचना प्राप्त हुई कि निम्न पी. एफ. में कुल
 लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंट के कुछ लिखने का काम
 किया जा रहा है। इनके पर जा. कर पूरता के
 करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रीड का
 इंजिनियर लाईन का निर्माण किया गया था।
 लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का कवरिंग
 किया जा रहा है। इसी दौरान टैरवा कि निम्न
 पी. एफ. में तीन जगह विद्युत टावर का निर्माण
 हेतु वन भूमि में काउंटेन्स का कार्य किया गया
 है। उपरोक्त अभिकरण के निर्माण/पदाधिकारि
 के वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी
 द्वारा निर्दिष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की
 जाती है परंतु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं
 करा सके।

पार ५७७ में अंशित अभियुक्त के द्वारा वन भूमि
 में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम करना गया
 है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (वि. ए.
 संशोधन 1989) की धारा 33 का उल्लंघन है।
 अतः श्रीमान को अनुसंधान कि जागे की जात
 कारवाई करने की सलाह दी जाती है।

आपका विश्वासी
 सुनील शर्मा
 खलारी वन परिसर

कार्यालय :- वन प्रमण्डल, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in, 0651-248265 (O), FAX 0651-2482386



जहाँ है हरियाली
वहाँ है ख़ुशहाली

पत्रांक:- 2971 दिनांक:- 14-10-2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, उमेण्डा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33449/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक-633 दिनांक-07.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, उमेण्डा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33449/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
14/10/2025

ok

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, बुढ़मू वन परिसर, बुड़मू।

पत्रांक :- 26

दिनांक :- 19.08.2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
राँची।

C-33449/2025

विषय :- उमेडण्डा पी. एफ. में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि उमेडण्डा पी. एफ. में कुछ लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि उमेडण्डा पी. एफ. में एक विद्युत टावर का निर्माण भी वन भूमि में किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मियों/पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई, परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके। फलस्वरूप संबंधित वनरक्षी श्री विनय कुमार सिंह मुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के जूर्म में सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक KEC International Limited के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया।

इस प्रकार जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33 के तहत दण्डनीय वन अपराध किया गया है। जाँच कार्य जारी है, पूर्ण जाँचोंपरांत अभियोजन प्रतिवेदन द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित की जाएगी।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध वनवाद दायर करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :-

1. जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689
दिनांक 18.08.2025 मूल
प्रति।

आपका विश्वासी

Lalit Mohan
19.08.2025

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
बुढ़मू वन परिसर, बुड़मू।

परिचित वन क्षेत्र पदाधिकारी बुढ़मू वन परिसर, गाण्डर को प्रस्तावित
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर


पत्रांक/जापांक 633 दिनांक 19/08/2025

वन परिसर पदाधिकारी

बुढ़मू वन परिसर, बुड़मू

परिचित:-

वन क्षेत्र पदाधिकारी, राँची वन परिसर, राँची को
अपराध प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित




Suzan Singh
19/08/2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



पत्रांक:-..... 2970 दिनांक:-..... 14-10-2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, चामा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33464 /2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-636 दिनांक-07.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, चामा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूर्म में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33464 /2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
14/10/2025

ak

F:- 42768/25

CNR:- JHRN030428859

C:- 33464/25

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।

पत्रांक 46

दिनांक : 28/09/2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- चामा सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण हेतु
फाउंडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री सुरजीत रुण्डा वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा चामा पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की चामा पी० एफ० में दो जगहों पर विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के क्रमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री सुरजीत रुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4692 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जूर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4692 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

आपका विश्वासी

Asst. Commr.
28/09/2025

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज


उपरोक्त :- वन क्षेत्र पदाधिकारी, वन क्षेत्र, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।
श्रीवत्सल कावर्षी हेतु समर्पित।
Asst. Commr.

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी

09/10/2025
प्रतिपत्ति:-

08/10

08/10/2025



कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुद्धू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक / जाणांक 636 दिनांक 09/10/2025

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची वन प्रमण्डल, रांची
को आग्रह पत्रेनम् की दृष्ट्या ही के साथ
प्रमाण पत्र आकषक करवाये हेतु
कृपया

09/10/2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुद्धू वन क्षेत्र, माण्डर

शेखादे

वन परिसर पदाधिकारी
अन्वेषी वन परिसर मैक्सवुडकीगंज

सदरम

खुबना प्राप्त हुई कि चामा पी.एफ. में कुछ लोगों के द्वारा वृक्षों में पेड़ों से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। सब पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पत्र गिरा द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया था। लाइन के नीचे में आने वाले वृक्षों का नंबरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि चामा पी.एफ. में दो जगह बिद्युत धार का निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कार्यों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य कराने हेतु सदरम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके।

पार पृष्ठ में अंकित अभियुक्त के द्वारा वन भूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम कराया गया है। जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-333A उल्लंघन है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उग्रे की उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

आपका विश्वासी

Arjun Randa
(सुरक्षित रुडा)

क 2-खेलाशी वन परिसर

मैक्सवुडकीगंज

दिनांक - 18/08/25

कार्यालय - वन प्रमंडल, राँची।

वन संरक्षक, डोरण्डा, राँची (झारखंड)

E-mail: forest@nic.gov.in Ph. No. 0651-2482386(0) FAX-0651-2482386

स्वीकृत बल रिक्ती से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन

दिनांक- 31.01.2

क्र. सं.	पदाधिकारी	कुल स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ती	अभ्युक्ति
1	वन संरक्षक	2	1	1	8
2	वन लिपिक	1	1	0	
3	वन लिपिक	12	12	0	
4	अध्यापक पदाधिकारी	7	6	1	श्री ए० के० मंजूल, वन क्षेत्र पदाधिकारी वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग को प्रक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
5	वनपाल	23	18	5	
6	वनरक्षी	147	10	137	
7	आदेशपाल	14	10	4	
8	डाकवाला	2	2	0	
9	चौकीदार	7	6	1	
10	माली	5	5	0	
11	स्वीपर	1	0	1	
12	चालक	1	0	1	
13	प्रारूपकार	1	0	1	
14	अमीन	2	1	1	
		225	72	153	

ज्ञापांक 423 दिनांक 2-2-2011

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को कृपया सूचनाार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

c/c

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची